

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग ।  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना

संख्या-टी3/बजट-36/2019-

- 2684

पटना, दिनांक- 30-12-19

सेवा में,

महालेखाकार  
वीरचन्द्र पटेल पथ,  
बिहार, पटना ।

द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास -उप मुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण-लघु शीर्ष-003-शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उपशीर्ष-0118-नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना (विपत्र कोड-26-2230030030118) के अन्तर्गत विषयशीर्ष 0118.01.01-वेतन, 0118.01.03- जी0 या0 भत्ता, 0118.01.04- मकान किराया भत्ता, 0118.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0118.06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0118.13.01- कार्यालय व्यय में कमशःरु0 32610000.00, 4900000.00, 2623000.00, 260000.00, 607000.00, 9000000.00/- कुल 50000000.00(पाँच करोड.) मात्र का पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश:-बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत ।

2. यह राशि विषयांकित उपरोक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विषयशीर्ष 0118.01.01- वेतन, 0118.01.03- जी0 या0 भत्ता, 0118.01.04- मकान किराया भत्ता, 0118.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0118.06.01- चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0118.13.01- कार्यालय व्यय (विपत्र कोड-26-2230030030118) से विकलनीय होगी ।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, औ0 प्र0 संस्थानों के प्राचार्य / उप प्राचार्य होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राम रुद्र प्रसाद)

अपर सचिव

श्रम संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- टी3/बजट-36/2019-2684 पटना, दिनांक- 30-12-19  
प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

(राम रूप प्रसाद)

अपर सचिव

श्रम संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- टी3/बजट-36/2019-2684 पटना, दिनांक- 30-12-19  
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) / वित्त विभाग (प्रशाखा-02) / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / प्रशाखा 2 (सरकार पक्ष) / आई0 टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम रूप प्रसाद)

अपर सचिव

श्रम संसाधन विभाग ।